



सुनवाई सूचना

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित नोटिस प्राप्तकर्ता को सुनवाई नोटिस (एचएन) जारी किए गए थे। रिकॉर्ड पर उपलब्ध अंतिम ज्ञात पतों पर एचएन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। एचएन का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

S. No.	नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम	नोटिस प्राप्तकर्ता का पता	स्क्रिप/केस का नाम	नोटिस दिनांक एवं क्रमांक.
1	भारत सुभाष प्रसाद मौर्य डीआईएन: 8101500	डी/59 पंचशील चॉल, अकुर्ली रोड, क्रांति नगरन्यू बुद्ध विहार, कांदिवली ईस्ट मुंबई-400101	मामले में जियोशाइन का माइंस 2 मेटल्स लिमिटेड.	सुनवाई नोटिस दिनांक 29 जुलाई 2024 (सेबी/एनआरओ/एनआर ओ/एनआरओ/ओडब्ल्यू /2024/24338/1)

नोटिस प्राप्तकर्ता को 20 अगस्त 2024 को अपराह्न 3:00 बजे सुनवाई का अवसर दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी भवन - II, प्लॉट नंबर सी-7, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051

नोटिस प्राप्तकर्ता को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, 8वीं मंजिल, प्लेट बी, टॉवर 1, एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, पूर्वी किदवानी नगर, नई दिल्ली-110023 से एचएन एकत्र करने की सलाह दी जाती है।

An opportunity of hearing has been granted to the Noticee on **August 20, 2024 at 3:00 P.M.** at Securities and Exchange Board of India, SEBI Bhavan - II, Plot No. C-7, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051

The Noticee is hereby advised to collect the HN from Securities and Exchange Board of India, Northern Regional Office, 8th Floor, Plate B, Tower 1, NBCC Complex, East Kidwani Nagar, New Delhi-110023.

नोटिस प्राप्तकर्ता सेबी की आधिकारिक वेबसाइट (www.sebi.gov.in) से "अनसर्व्ड समन/नोटिस" शीर्षक के तहत एचएन की एक प्रति भी डाउनलोड कर सकते हैं haria@sebi.gov.in या gyanendran@sebi.gov.in पर अनुरोध भेजकर एससीएन की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

Noticees may also download a copy of the HN from the official website of SEBI (www.sebi.gov.in) under the head "Unserved Summons/Notices" or obtain a copy of the SCN by sending a request to haria@sebi.gov.in / gyanendran@sebi.gov.in.

यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है, या नोटिस प्राप्तकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सेबी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामले में आगे बढ़ेगा।

In case reply is not received, or the Noticee or the authorised representative fails to appear for hearing, SEBI shall proceed further in the matter on the basis of material available on record.

Date: August 01, 2024
Place: New Delhi

Gyanendra Niraj
Deputy General Manager

2024/08/01/0080/2425